

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मयईनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
----------------	-----------------------------------	---

30/1/17

आज यह प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थी ने मूलवाद के साथ पेश किया है। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, शपथ पत्र एवं बहस एकपक्षीय वकील प्रार्थीगण पर गौर करने से प्रथम दृष्टया में केस व सुविधा का सन्तुलन एवं नापूर्ति होने वाली क्षति प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होती है। अतः अप्रार्थीगण को आगामी तिथि 16.01.2018 तक जर्ये एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वो विवादित आराजी हाल ख0 नं0 505/813 रकबा 0.48 हैक्ट0 वाके ग्राम करीरिया तहसील रामगढ जिला अलवर को रहन, बैय नही करे, कोई निर्माण कार्य न करे, राजस्व एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 हो। अप्रार्थीगण को जर्ये रजि0 ए0डी0 तलबी से तलब कर दिनांक 16.01.2018 को पेश हो।

अप सखंड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

16/1/18

वकील के वकील/वकालत प्रार्थीगण/प्रार्थीगण अधिकारी
वकील के वकील/वकालत प्रार्थीगण/प्रार्थीगण अधिकारी
नमून विवादित ग्राहक/पक्षीय पत्रावली
दिनांक 10-4-18 को पेश हो

13/6/18 कानून प्रवर्तक विभाग
पत्रावली नमून विवादित ग्राहक/पक्षीय पत्रावली
Not Press है कार्यालय विभाग
के कानून विभाग 212 RTA की
Not Press है कार्यालय विभाग
पत्रावली नमून विवादित ग्राहक/पक्षीय पत्रावली
के कानून विभाग 212 RTA की

Not Press
13/6/18

अप सखंड अधिकारी
रामगढ (अलवर)